राज्यपाल, सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांकः एफ.1(3)आरबी / 2020 पार्ट 3 / 1812
दिनांकः 01 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2021

कार्यवाही विवरण

सचिव, राज्यपाल की अध्यक्षता में दिनांक 23.03.2021 को विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान निर्माण के संबंध में समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक दो चरणों में आयोजित की गई।

उक्त बैठक में समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।

सचिव, राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान निर्माण के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा की गई–

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के द्वारा इच्छा व्यक्त की गई है कि समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों एवं जनसाधारण में संविधान के प्रति आस्था एवं जागरूकता जगाने, संविधान निर्माण के मूल कर्तव्यों, अधिकारों एवं संविधान निर्माण से जुड़े तथ्यों को विद्यार्थियों के बीच प्रेरणा के रूप में प्रदर्शित करने हेतु समस्त विश्वविद्यालय अपने परिसर में 26 नवम्बर, 2021 तक संविधान उद्यान का निर्माण कार्य पूर्ण करावे।
- संविधान उद्यान निर्माण का कार्य पूर्ण होने पर माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय स्वयं उद्यान का उद्घाटन करेंगे।
- सभी ऐसे विश्वविद्यालय जिनके द्वारा संविधान उद्यान का प्रस्ताव विश्वविद्यालय की वैधानिक समिति से पारित नहीं किया गया है वह तुरन्त प्रस्ताव को अपनी वैधानिक समिति में प्रस्तुत कर पारित करावे।
- ऐसे कुछ अन्य विश्वविद्यालय जिनमें संविधान उद्यान के निर्माण के प्रस्ताव को वैधानिक समिति द्वारा पारित कर दिया गया है परन्तु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है, वह पारित प्रस्ताव के अनुसरण में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करावे।
- जिन विश्वविद्यालयों में निर्माण कार्य कार्यकारिणी एजेन्सी के चुनाव अथवा टेन्डर किये जाने की प्रक्रिया के कारण रूका हुआ है, वें अधिकृत एजेन्सी अथवा टेन्डर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण करावें।

- सभी विश्वविद्यालयों में संविधान स्तम्भ का आकार एवं संरचना के निर्माण में एकरूपता होनी चाहिए।
- संविधान स्तम्भ के पत्थरों पर ऊकेरे गये चित्रों एवं प्रस्तावना स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होनी चाहिए।
- स्तम्भ के निर्माण के साथ–साथ विश्वविद्यालय संविधान उद्यान की सफाई एवं रख–रखाव का विशेष प्रबन्ध रखे।
- स्तम्भ पर तीन ओर लगाये जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज की सुरक्षा एवं रख–रखाव हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन रखा जावें।
- विश्वविद्यालय संविधान उद्यान के निर्माण के साथ–साथ उसमें लगने वाले ब्रास के स्ट्रक्चर्स की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे एवं अपने प्रस्ताव में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान करावे।
- सी.एम.डी., सिन्सीयर आर्किटेक्ट से आग्रह किया गया कि वें संविधान उद्यान के मूल डिजाईन में राजस्थान के नक्शे के स्थान पर भारत का नक्शा अंकित करे, तथा समस्त विश्वविद्यालयों को 60X40 मीटर की भूमि पर 75 फीट ऊँचा स्तम्भ बनाने का एक कच्चा तकनीमा बनाकर प्रेषित करे, जिससे विश्वविद्यालय अपनी वैधानिक समिति (सिंडिकेट / BOM / वित्त समिति इत्यादि) से अनुमानित लागत सहित प्रस्ताव पारित करा सके।

सचिव, राज्यपाल द्वारा बैठक के दोनों सत्रों में प्रत्येक विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी से संविधान उद्यान के निर्माण के संदर्भ में चर्चा कर निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये–

- **कुलसचिव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर** संविधान उद्यान के निर्माण के पारित प्रस्ताव के अनुसरण में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर 15 दिवस में राज्यपाल, सचिवालय को सूचित करे।
- **राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर** द्वारा माह जुलाई, 2021 तक टेन्डर प्रक्रिया पूर्ण की जावे।
- **महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर** द्वारा अप्रेल, 2021 के प्रथम सप्ताह में BOM से अनुमोदन करावा कर टेन्डर प्रक्रिया शुरू की जाये।
- **बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर** एवं **महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर** द्वारा निर्माण कार्य की हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया तुरन्त प्रभाव से शुरू की जाये।
- **सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर** संविधान उद्यान के निर्माण कार्य की सम्पूर्ण प्रक्रिया तुरन्त प्रभाव से शुरू करे।

नोडल अधिकारी, प. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा दिनांक 15 से 30 मई, 2021 के बीच एवं **नोडल अधिकारी, गोविन्द गुरू जनजाति विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा** द्वारा संविधान उद्यान के उद्घाटन को 26 नवम्बर, 2021 से पूर्व कराये जाने की सम्भावना व्यक्त की गई।

वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा सचिव, राज्यपाल को माह अप्रेल, 2021 में वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर 15 मई, 2021 तक संविधान उद्यान के निर्माण का कार्य शुरू किये जाने की जानकारी दी गई।

बैठक के दौरान सभी प्रतिभागियों को दिये गये तकनीकी प्रेजेन्टेशन की हार्ड–कॉपी वितरित की गई एवं विभिन्न नोडल अधिकारियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के बारे में सविस्तार बताया गया।

बैठक के अन्त में विशेषधिकारी–प्रथम, उच्च शिक्षा द्वारा सचिव, राज्यपाल एवं सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

ह०/–

(सुबीर कुमार)
सचिव,राज्यपाल

क्रमांकः एफ.1(3)आरबी/2020 पार्ट 3/ 1813 **दिनांकः** 01 **~~मार्च~~ अप्रैल, 2021**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
2. कुलपति, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
3. रजिस्ट्रार, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
4. नोडल अधिकारी, संविधान उद्यान, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
5. निजी सचिव, सचिव, राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।
6. श्री राम चौधरी, सीएमडी, सिन्सीयर आर्किटेक्ट, जयपुर।

Sd/- 31/3/2021

प्रभारी अधिकारी (एस एल)